EEFI

ELECTRICITY EMPLOYEES' FEDERATION OF INDIA

B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi-110 002
E-mail id – eefederation@gmail.com, Mob. No. 8800580584 / 8918372750

ELAMARAM KAREEM (Ex-M.P.) President | S RAJENDRAN Treasurer | SUDIP DUTTA General Secretary

No. 10वीं / ईईएफआई / परिपत्र / 01 / 2026 Date: 25 मई 2026

परिपत्र

ईईएफआई के पदाधिकारियों की बैठक 20 मई 2026 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। कुछ संगठनात्मक कारणों से अंतराल के बाद यह बैठक आयोजित की गई, यद्यपि इस बीच कई संगठनात्मक पहलकदमियाँ एवं आंदोलन संचालित किए गए। इस बैठक के माध्यम से हमने पुनः अपने संगठनात्मक कार्यों को सुव्यवस्थित करने तथा भविष्य की कार्ययोजना तय करने का प्रयास किया है।

बैठक में दो विस्तृत नोट कृ एक वर्तमान राजनीतिक–आर्थिक परिस्थितियों पर *(अनुलग्नक–I)* तथा दूसरा उद्योग संबंधी विषयों पर *(अनुलग्नक–II)* – चर्चा के उपरांत स्वीकार किए गए। इन्हें सभी कमेटी स्तरों पर स्थानीय भाषाओं में रिपोर्टिंग हेतु संलग्न किया जा रहा है।

हालाँकि, पदाधिकारियों की बैठक ने माना कि इस अंतराल अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ निस्संदेह बिजली संशोधन विधेयक, 2025 का प्रारूप जारी होना तथा शांति अधिनियम (SHANTI Act) हैं। यद्यपि देशभर के बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं के संयुक्त संघर्षों के कारण पहला अब तक पारित नहीं हो सका है, लेकिन निजी क्षेत्र से संबंधित परमाणु विधेयक पारित हो चुका है और निजी कंपनियाँ पहले ही संचालन में प्रवेश कर चुकी हैं।

इस अवधि का प्रमुख औद्योगिक संघर्ष 12 फरवरी 2026 की आम हड़ताल थी। कुछ कमियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि बिजली क्षेत्र में हाल के समय की यह सबसे बड़ी हड़तालों में से एक थी। बिहार में जीत के बाद भाजपा सरकार ने 21 नवम्बर 2025 को श्रम संहिताओं (स्इवनत ब्वकमे) को अधिसूचित किया और पश्चिम बंगाल एवं असम विधानसभा चुनावों में विजय के बाद उसने इन संहिताओं को लागू करना प्रारम्भ कर दिया है।

इस प्रकार हमारा उद्योग दोतरफा हमलों का सामना कर रहा है कृ एक ओर निजीकरण और सार्वजनिक बिजली क्षेत्र को समाप्त करने के प्रयास, तथा दूसरी ओर सभी मौजूदा श्रम अधिकारों को छीनने की कोशिश।

ऐसी परिस्थिति में हमें अपने संगठनात्मक कार्यों को पुनर्गठित करते हुए आंदोलन और संघर्षों को और तेज करना होगा।

इसी उद्देश्य से हमने निम्नलिखित संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का निर्णय लिया है।

पृष्ठ 2 जारी...

EEFI

ELECTRICITY EMPLOYEES' FEDERATION OF INDIA

B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi-110 002
E-mail id – eefederation@gmail.com, Mob. No. 8800580584 / 8918372750

ELAMARAM KAREEM (Ex-M.P.)
President

S RAJENDRAN
Treasurer

SUDIP DUTTA
General Secretary

No. Date:

संगठनात्मक निर्णय निम्नलिखित हैं:

1. समितियों का संचालन एवं बैठकें:

ईईएफआई केन्द्र का पुनर्गठन किया गया है, **जिसमें कॉमरेड सुभाष लाम्बा को दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। कॉमरेड शब्बीर अहमद गनी ईईएफआई केन्द्र में आमंत्रित सदस्य (Invitee) होंगे।**

a) **क्षेत्रीय समितियों की बैठकें 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएँ।**

b) **सभी उप–समितियाँ 15 जून 2026 तक बैठक कर स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारम्भ करें।**

c) **कामकाजी महिला उप–समिति सभी यूनियनों में आंतरिक शिकायत समितियों (Internal Complaints Committees) के गठन को सुनिश्चित करेगी।**

d) **तीनों ऊर्जा क्षेत्रीय फैडरेशनों – ईईएफआई, एआईसीडब्ल्यूएफ एवं पीजीडब्ल्यूएफआई – की संयुक्त बैठक 19–20 जुलाई 2026 को राँची में आयोजित होगी।** सभी पदाधिकारियों की इस बैठक में उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि संयुक्त संघर्ष की भावी दिशा तय की जा सके।

2. सदस्यता एवं अन्य देय राशि

a) वर्ष 2024 एवं 2025 की सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक रिटर्न की प्रतियों के साथ 30 जून 2026 तक जमा की जानी चाहिए। संबंधित प्रभारी इस कार्य की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे।

b) वर्ष 2025 का संघर्ष फंड 30 जून 2026 तक जमा किया जाए। कोषाध्यक्ष प्रस्तावित राशि जमा कराने की निगरानी करेंगे।

3. संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार:

a) सभी यूनियनों को यूनियन स्तर पर पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी बैठकों के माध्यम से एक वर्षीय कार्ययोजना तैयार करनी होगी, जिसमें नए क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। यह कार्ययोजना 30 जून 2026 तक ईईएफआई केन्द्र को भेजी जाए ताकि अगली पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की जा सके। सदस्यता में कम–से–कम 15 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।

पृष्ठ 3 जारी...

b) जिन राज्यों में हमारी कोई सक्रिय संबद्ध यूनियन नहीं है, वहाँ फैडरेशन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित प्रभारी इस दिशा में तत्काल समीक्षा करें।

c) **सभी राज्य समितियाँ/यूनियनें अगस्त 2026 तक बिजली कर्मचारी एवं उपभोक्ता संघों (Electricity Employees and Consumers' Associations)** के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

4. श्रम संहिताओं के बाद ट्रेड यूनियन दस्तावेजों से संबंधित अत्यावश्यक कार्यः

केंद्र सरकार पहले ही श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर चुकी है। श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के विरुद्ध मजबूत प्रतिरोध खड़ा करने के साथ–साथ राज्य समितियों/यूनियनों को युद्धस्तर पर सभी संबद्ध यूनियनों के उपनियमों में नए नियमों के अनुरूप संशोधन करने तथा संबंधित राज्य श्रम विभागों में आवश्यक घोषणाएँ जमा करने की तैयारी करनी होगी।

सभी राज्य समितियाँ/यूनियनें पदाधिकारियों एवं सक्षम कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर सभी संबद्ध यूनियनों के उपनियमों की जाँच करें। इस संबंध में एक नोट संदर्भ हेतु संलग्न है *(अनुलग्नक–III)*।

5. आंदोलनात्मक कार्यः

केंद्र सरकार किसी भी समय बिजली (संशोधन) विधेयक पारित कर सकती है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के पृथक्करण तथा अलग कृषि डिस्कॉम बनाने की प्रक्रिया तेलंगाना, हरियाणा एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रारम्भ की जा चुकी है। निजी क्षेत्र परमाणु अधिनियम भी लागू हो चुका है।

a) हमें इन सभी मुद्दों को अपने सदस्यों, सामान्य बिजली कर्मचारियों तथा आम उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होगा। अपने प्रत्येक सदस्य तक पहुँचना अनिवार्य है।

b) राज्य स्तरीय कर्मचारियों की समस्याओं को श्रम संहिताओं, वेतन संशोधन एवं पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मुद्दों के साथ जोड़ते हुए जुलाई महीने में दो सप्ताह का अभियान चलाया जाए, जिसका समापन अगस्त 2026 में राज्य बिजली विभागों के समक्ष एक/दो दिवसीय विशाल धरने के रूप में किया जाए।

इन धरनों को उत्सवपूर्ण वातावरण में आयोजित किया जाए, जिसमें परिवार के सदस्य, विद्यार्थी, युवा, महिलाएँ एवं किसान संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार चलाया जाए।

यह हमारे बहुदिवसीय स्वतंत्र एवं संयुक्त आंदोलनों की प्रस्तावना होगी।

पृष्ठ 4 जारी...

EEFI

ELECTRICITY EMPLOYEES' FEDERATION OF INDIA

B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi-110 002
E-mail id – eefederation@gmail.com, Mob. No. 8800580584 / 8918372750

ELAMARAM KAREEM (Ex-M.P.) President | S RAJENDRAN Treasurer | SUDIP DUTTA General Secretary

No. Date:

c) हमने ठेका श्रमिकों के मुद्दों एवं संगठन पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। **ठेका श्रमिकों के मुद्दों पर राज्य स्तरीय कन्वेंशन 31 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएँ।** इन कन्वेंशनों से विस्तृत अभियान योजना तैयार की जाए, जिसका समापन अक्टूबर/नवंबर 2026 में बिजली क्षेत्र के ठेका श्रमिकों की एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के रूप में हो।

d) **राज्य/कंपनी स्तर पर श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन का प्रतिरोध करें। यदि राज्य सरकार या प्रबंधन श्रम संहिताओं की श्रमिक–विरोधी धाराओं को लागू करने का प्रयास करे, तो तत्काल व्यापक संघर्ष आयोजित किया जाए। श्रम परिस्थितियों में सभी प्रकार के प्रतिकूल परिवर्तनों का विरोध करें, सभी अर्जित अधिकारों की रक्षा करें तथा कर्मचारियों के बीच व्यापक अभियान चलाएँ।**

e) यदि बिजली (संशोधन) विधेयक को संसद में जबरन पारित किया जाता है, तो हम NCCOEEE के बैनर तले बहुदिवसीय संयुक्त आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे। **नवंबर/दिसंबर 2026 के दौरान बहुदिवसीय संघर्षों की तैयारी करें।**

f) **ईईएफआई की जनरल काउंसिल की बैठक 3–4 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में आयोजित करने का प्रस्ताव है।**

सादर शुभकामनाओं सहित,

Sudip Dutta

(सुदीप दत्ता)
महासचिव